कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर-482001
फोन : 91.761.2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्र0 / डी0एम0 / 6724 जबलपुर दिनांक 30/12/20

प्रति,

मण्डल अभियंता (तार)
भारत संचार निगम लिमिटेड
जबलपुर

विषय :- जबलपुर जिले में BSNL Ltd. द्वारा ग्राम गिदुरहा से मढ़ाबंजर में OFC Line डालने हेतु 0.092 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्। (प्रकरण क्रमाँक/FP/MP/OFC/37186/2018)

संदर्भ :- 1. कार्यालयीन पत्र कमांक / डी.एम. / 6671 दिनांक 24 / 12 / 2020.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र कमांक / एफ–5 / विविध / 2020 / 10–11 / 4480 दिनांक 29 / 12 / 2020.

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि वन परिक्षेत्र सिहोरा के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम गिदुरहा से मढ़ाबंजर मार्ग के किनारे भूमिगत ट्रेंच खोदकर ओ0एफ0सी0 केबल लाईन डाली जाना है। जिसमें निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित होगी :–

क.	प्रभावित वन क्षेत्र	मार्ग का नाम	जी.पी.एस. रीडिंग	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	रकवा हे0 में
1	पी.एफ. 34	गिदुरहा से मढ़ाबंजर	Start Point –N-23°21'26.55",E-80°12'59.02" End Point – N-23°22'03.50",E-80°13'05.75"	368	0.55	0.020
2	पी.एफ. 35		Start Point – N-23°22'03.50",E-80°13'05.75" End Point – N-23°22'15.91",E-80°13'07.34"	1302	0.55	0.072
			Total :-	1670	0.55	0.092

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्था को मुख्य वन संरक्षक भू–सर्वेक्षण के पत्र कमांक 1839 दिनांक 12.03.2004 एवं पत्र क्र. / एफ–5 / विविध / 2017 / 10–11 / 3283 दिनांक 31.05.2017, अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र कमांक / एफ–5 / विविध / 2018 / 10–11 / 3183 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा जारी निर्देश के अन्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त अनुमोदन अनुसार संदर्भित कार्यालयीन पत्र दिनांक **24 / 12 / 2020** से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदाय की गई थी, एवं स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का वचन पत्र आवेदक संस्थान से चाहा गया था।

आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र कमांक / **एफ–5 / विविध / 2020 / 10–11 / 4480 दिनांक 29 / 12 / 2020** से प्राप्त निर्देश अनुसार निम्नानुसार शर्तों के अन्तर्गत **<u>औपचारिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है</u>** :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केबल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के अन्तर्गत है। राईट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
3. वन भूमि पर आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं स्वीकृत चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।
4. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
5. रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।

6. समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गयी खंती से निकाली गयी मिट्टी से किया जायेगा।

7. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।

8. खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा। **अतः वन भूमि के अंदर गुजरने वाले क्षेत्रों में मजदूरों से कार्य कराया जावे।**

9. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक / आवेदक संस्थान से देय होगी।

10. यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती हैं तो वे सभी शर्ते उन्हें मान्य होगी।

11. भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका कमांक/202/95 में सर्वोचच न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क./16–10 –सात/2–ए/90 दिनांक 13.01.1997 में परिभाषित है, के संबंध में लेख है कि यह स्वीकृति केबल वन भूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है। यदि आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा जानकारी सही जानकारी न देते हुए राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में खुदाई की जाती है तो, राजस्व विभाग द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाये, ताकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।

12. सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नही किया जायेगा।

13. कार्य की स्वीकृति/प्राक्कलन, कार्य संपादन कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम व पूर्ण पते भी परिक्षेत्र कार्यालय में सूचित किये जावेंगे।

14. कार्य आरंभ करने के पूर्व संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी **सिहोरा** को सूचना दी जावे।

30/12/20

वन मंडल जबलपुर
सामान्य वनमण्डल जबलपुर

क्रमांक/डी.एम./ 6725
जबलपुर, दिनांक 30/12/20

प्रतिलिपि :- 1– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र कमांक/ एफ–5/ विविध/ 2019/ 10–11/ 2258 दिनांक 09.07.2019 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2– मुख्य वनसंरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के अनुकम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3– कलेक्टर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4– उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य **सिहोरा** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि शर्तों का पालन कराते हुए कार्य करावें।

5– वन परिक्षेत्र अधिकारी, **सिहोरा** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि शर्तों का पालन कराते हुए कार्य करावें।

वन मंडल जबलपुर
सामान्य वनमण्डल जबलपुर